(वाद सं०– 1288/4/36/2019)

20.07.2022

प्रसंगाधीन मामला S.E.C.C., 2011 के अन्तर्गत जनगणना कार्य में लगे पर्यवेक्षक, परिवादी, इन्द्रदेव राय, पंचायत राज पदाधिकारी, रानीगंज को प्रशिक्षण भत्ता एवं मानदेय राशि के भुगतान से सम्बन्धित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, अररिया से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानीगंज के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी को S.E.C.C., 2011 के सर्वेक्षण कार्य में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–चार्ज पदाधिकारी, रानीगंज द्वारा नियुक्त किया गया था, परन्तु न तो उनके द्वारा प्रशिक्षण कार्य किया जाता था और न ही अपने विभागीय दायित्वों को उनके द्वारा पूरा किया जाता था। तत्पश्चात् तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी–सह–चार्ज पदाधिकारी, रानीगंज द्वारा S.E.C.C., 2011 का कार्य प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रानीगंज को आबंटित किया गया और विहित मानदेय का भुगतान भी प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, रानीगंज को किया गया।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया और उसका कथन है कि प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रानीगंज द्वारा उपरोक्त राशि का गबन किया गया है। उसकी ओर से पुनः प्रशिक्षण भत्ता एवं मानदेय राशि का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रसंगाधीन मामला S.E.C.C., 2011 के जनगणना कार्य के प्रशिक्षण भत्ता एवं मानदेय राशि के गलत भुगतान से सम्बन्धित प्रतीत होता है।

जिला पदाधिकारी, अररिया से यह अनुरोध है कि प्रसंगाधीन मामले में किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्रवाई से परिवादी को अवगत करा दिया जाय।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया को भेजते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक